न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 27/2016

अनवान

श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री देवी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम देवलियाकलां तहसील–भिनाय जिला–अजमेर .....प्रार्थी

बनाम

1. श्री श्रवण सिंह राजावत उपखण्ड अधिकारी भिनाय तहसील व जिला अजमेर
2. श्रीमती इन्द्रा कुमारी पत्नि कर्नल नवल सिंह जाति राजपूत निवासी यश निवास ए–6, हवा सडक, सिविल लाईन, जयपुर।
3. दिवाकर सिंह पुत्र राव श्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला–अजमेर।
4. जयसिह पुत्र श्री विजय सिंह (मृतक)
5. कर्नल तेजप्रताप सिंह पुत्र श्री जय सिंह
6. श्रीमती कुसुम कान्ति पत्नि श्री हिम्मत सिंह
7. इन्द्रा कुमारी पुत्री श्री हिम्मत सिंह
8. पदमा कुमारी पुत्री श्री हिम्मत सिंह
9. नितिराज सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह
10. गणपत सिंह पुत्र श्री जयसिंह(मृतक) समस्त जाति राजपूत निवासी कालवाडा हाउस, खेजडों का रास्ता, इन्द्रा मार्केट जयपुर।
11. हरिशचन्द्र सिंह पुत्र राव श्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी देवलियॉ कलां तहसील भिनाय जिला अजमेर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय, जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 233 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. श्री अजीतसिंह राठौड अभिभाषक प्रार्थी
2. पुष्पेन्द्र सिंह नरूका अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

दिनांक :– 09.11.2016

आदेश

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी द्वारा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष खातेदारी उद्घोषणा का वाद एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लम्बित है, अप्रार्थी हरिशचन्द्र द्वारा सिविल वाद एवं राजस्व वाद में पृथक–पृथक एवं विरोधाभासी सजरे प्रस्तुत किये गये है। अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा वाद में मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करना एवं गढना सिद्ध होने के बावजूद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 सी.आर.पी.सी गैर कानूनी रूप से श्री हरिशचन्द्र को लाभान्वित करने के उद्वेश्य से निरस्त कर दिया गया। बरवक्त पारित किये जाने निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 सी.आर.पी.सी श्री हरिशचन्द्र सिंह एवं उनकी धर्म पत्नि श्रीमती नीर्मला कुमारी राजावत पीठासीन अधिकारी श्री श्रवणसिंह राजावत के चैम्बर में बैठे थे। पीठासीन अधिकारी द्वारा चैम्बर में प्रार्थना पत्र बाबत काफी डिस्कश करने के उपरान्त न्यायालय कक्ष में आये एवं प्रार्थी को प्रार्थना पत्र विड्रो या नोट प्रेश करने हेतु आदेशित किया।

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी के इन्कार किये जाने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली हाथ में लेकर प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का आदेश सुना दिया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी/प्रतिवादी हरिशचन्द्र से राजीनामा कर लेने व नहीं करने पर अन्यथा परेशानी झेलने एवं जीवन भर मुकदमें लडते रहने के लिए कहा गया। विवादित भूमि पंजीकृत वसीयत नामा द्वारा प्रार्थी को प्राप्त तन्हा खातेदारी एवं तन्हा कब्जे काश्त की भूमि बाबत त्रूटिपूर्ण वाद प्रस्तुत किये जाने का निवेदन पीठासीन अधिकारी को किया गया जिसे नजरअन्दाज करते हुए चैम्बर में चले गये। इन तथ्यों से प्रार्थी को विश्वास हो गया कि श्री श्रवणसिंह राजावत वादी श्री हरिशचन्द्रसिंह से मिले हुए है तथा उनको गैर कानूनी रूप से लाभान्वित करने के ईरादे से वाद सं0 45/2012 एवं 40/2013 को अतिशीघ्र श्री हरिशचन्द्र के पक्ष में निर्णित करने पर सख्त आमादा है। हरिशचन्द्र सिंह आर्थिक रूप से अत्यन्त सुदृढ होकर राजनैतिक एप्रोच रखने वाला व्यक्ति है। उनकी पत्नी राजावत है एवं पीठासीन अधिकारी भी राजावत होने से क्लोज रिलेटिव है। दोनों पति –पत्नि कोर्ट कार्यवाही शुरू होने से पहले ही पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठे रहते है। इनके द्वारा गॉव में भी यह फैला रखा है कि एस. डी.ओ साहब मेरे ससुराल पक्ष से संबधी है, मैने उपर से कहलवा दिया है। मेरी जीत निश्चित है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह साबित है कि उन्हें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। अतः प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भिनाय से अन्य किसी सक्षम न्यायालय में वास्ते निर्णय स्थानान्तरित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर उप खण्ड अधिकारी से प्रार्थना पत्र बाबत् टिप्पणी तलब की गई तथा अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से बिन्दुवार जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी सं0 2 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए किन्तु जवाब नोटिस पेश नहीं कर, सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी भिनाय के न्यायालय में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 के मध्य खातेदारी उद्घोषणा का वाद एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लम्बित है। अप्रार्थी हरिशचन्द्र द्वारा सिविल वाद एवं राजस्व वाद में पृथक–पृथक एवं विरोधाभासी सजरे प्रस्तुत किये गये है। इस कारण उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 सी.आर.पी.सी अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा वाद में मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करना एवं गढना सिद्व होने के बावजूद पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 सी.आर.पी.सी गैर कानूनी रूप से श्री हरिशचन्द्र को लाभान्वित करने के उद्वेश्य से निरस्त कर दिया गया। बरवक्त पारित किये जाने निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 सी.आर.पी.सी श्री हरिशचन्द्र सिंह एवं उनकी धर्म पत्नि श्रीमती नीर्मला कुमारी राजावत पीठासीन अधिकारी श्री श्रवणसिंह राजावत के चैम्बर में बैठे थे। पीठासीन अधिकारी द्वारा चैम्बर में प्रार्थना पत्र बाबत उनसे काफी डिस्कश करने उपरान्त न्यायालय कक्ष में आये एवं प्रार्थी को प्रार्थना पत्र विड्रो या नोट प्रेश करने हेतु आदेशित किया। प्रार्थी के इन्कार किये जाने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली हाथ में लेकर प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का आदेश सुना दिया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी/प्रतिवादी हरिशचन्द्र से राजीनामा कर लेने को कहा एवं राजीनामा नहीं करने पर अन्यथा परेशानी झेलने एवं जीवन भर मुकदमें लडते रहने के लिए आगाह किया गया। विवादित भूमि पंजीकृत वसीयत नामा द्वारा प्रार्थी को तन्हा खातेदारी एवं तन्हा कब्जे काश्त की भूमि प्राप्त होने एवं हरिशचन्द्र सिह द्वारा त्रूटिपूर्ण वाद प्रस्तुत किये जाने बाबत पीठासीन अधिकारी को निवेदन किया गया

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

जिसे नजरअन्दाज करते हुए अदालत से उठकर चैम्बर में चले गये। इन तथ्यों से प्रार्थी को विश्वास हो गया कि अप्रार्थी सं0 1 वादी श्री हरिशचन्द्रसिंह से मिले हुए है तथा गैर कानूनी रूप से लाभान्वित करने के ईरादे से वाद सं0 45/2012 एवं 40/2013 को अतिशीघ्र अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में निर्णित करने पर सख्त आमादा है। हरिशचन्द्र सिंह आर्थिक रूप से अत्यन्त सुदृढ होकर राजनैतिक एप्रोच रखने वाला व्यक्ति है। इनकी पत्नी राजावत है एवं पीठासीन अधिकारी भी राजावत होने से क्लोज रिलेटिव है। दोनों पति–पत्नि कोर्ट कार्यवाही शुरू होने से पहले ही पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठे रहते है। इनके द्वारा गॉव में भी यह फेला रखा है कि एस. डी.ओ. साहब मेरे सासुराल पक्ष से संबधी है। मैने उपर से कहलवा दिया है। मेरी जीत निश्चित है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाये जाने के कारण प्रार्थी को उनसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। यदि उपखण्ड अधिकारी भिनाय के न्यायालय से प्रकरण का अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण नहीं किया जाता है तो प्रार्थी के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा एवं प्रार्थी न्याय प्राप्त करने से महरूम हो जावेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी भिनाय के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 45/2013 बउनवानी लक्ष्मण सिंह बनाम सरकार वगैरह को मय प्रार्थना पत्र अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावें।

जवाब में अप्रार्थी सं0 2 के अभिभापक ने निवेदन किया कि उप खण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को स्थानान्तरित करने बाबत प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी सं0 2, उपखण्ड अधिकारी भिनाय द्वारा प्रेषित टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्यों को सिरे से नकारते हुए अंकित किया गया है कि न्यायालय द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 सी.आर.पी.सी. उपखण्ड न्यायालय क्षैत्राधिकार में नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया गया है। अप्रार्थी सं0 1 न्यायालय के अतिरिक्त, प्रशासनिक अधिकारी का पद भी धारित करता हैं। इसलिए अप्रार्थी के चैम्बर में कभी भी, कोई भी व्यक्ति अपनी याचिका/प्रार्थना पत्र अन्य क्षैत्रीय समस्याओं के सबंध में अवगत करवाने या निस्तारण करवाने बावत उपस्थित हो सकता है, न्यायालय से जोडकर लगाये गये आरोप सर्वथा मिथ्या एवं झूठे है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा किसी भी पक्षकार के साथ पक्षपात नहीं किया गया है एवं ना ही प्रार्थी को प्रार्थना पत्र विड्रो एवं नोट प्रेस करने हेतु बाध्य किया गया। अप्रार्थी सं0 1 का उपनाम राजावत है यह सत्य है। अप्रार्थी द्वारा लगाये गये शेष समस्त आरोप निराधार, मिथ्या एवं मनगढन्त है। अतः प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

हमने उभय पक्ष की वहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, एवं उपखण्ड अधिकारी भिनाय से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। न्याय प्रशासन का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण विश्वसनीयता होनी चाहिये। किसी पक्षकार द्वारा उचित आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रकरण को किसी अन्य पीठासीन अधिकारी के पास हस्तान्तरित किया जा सकता है। परन्तु इसी के साथ साथ निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार विचाराधीन प्रकरणों का समय समय पर निस्तारण करने का भी न्याय प्रशासन का अहम कर्त्तव्य है। इस परिपेक्ष्य में किसी पक्षकार को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह असत्य एवं आधारहीन तथ्यों के आधार पर उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्त का अनुचित लाभ लेते हुये अधीनस्थ न्यायालय पर अनावश्यक आक्षेप लगाये, दबाव डाले एवं न्यायिक प्रक्रिया में रूकावट उत्पन्न करें। इसी प्रकार यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

के साथ अपने शपथ पत्र के अलावा अन्य किसी तटस्थ गवाह/गवाहों के शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक माना गया है। विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर प्रार्थना पत्र अनुसार लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहे हैं और प्रार्थना पत्र के साथ किसी स्वतन्त्र गवाह/गवाहों के शपथ पत्र वास्तें ताईद प्रार्थना पत्र कथनों हेतु संलग्न नहीं किया है उपरोक्त सभी तथ्यों के मध्यनजर कोई ठोस आधार नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी भिनाय दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.11.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

09/11/16

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner